

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ.1(175)स्था./निकाशि/2011/ ०७७

दिनांक: ०१.०५.२०१२

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं द्वारा दिये गये विकल्प एवं उसके आधार पर दिनांक 20.04.2012 को आयोजित की गयी रिव्यू संवीक्षा समिति की बैठक की अनुशंसा पर अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत रहे शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

क्र. स.	व्याख्याता का नाम	पद / विषय	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	जन्म तिथि	उपस्थिति देने का स्थान
1	डा. ज्योत्सना कुलश्रेष्ठ	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम	खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	20.10.1962	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	डा. ए.एस. मान	व्याख्याता गणित	एस.जी.एन खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर	09.09.1953	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर
3	डा. योगेश कुमार शर्मा	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम	सेठ मोतीलाल पी.जी. महाविद्यालय, झुन्झुनू	31.08.1960	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर


- इन शिक्षकों को संबंधित अनुदानित महाविद्यालय से अपना कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र लेकर संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के कार्यालय में दिनांक 08.05.2012 तक उपस्थित होना होगा।
- इन शिक्षकों के राजकीय सेवा में आमुखिकरण (ओरियेन्टेशन) संबंधी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे। तदनुसार इन शिक्षकों को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी।
- शिक्षकों के पदस्थापन संबंधी आदेश राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- संबंधित अनुदानित महाविद्यालय से कार्यमुक्ति तक के समस्त बकाया भुगतान एवं उस समय तक यदि किसी माननीय न्यायालय में कोई वाद बकाया है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक एवं उसके पूर्व नियोक्ता महाविद्यालय की होगी।
- संबंधित शिक्षक के शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगति अथवा गलत तथ्य पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार स्वतन्त्र होगी।

(सुबीर कुमार)

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
12. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
13. संबंधित संस्था सचिव/प्राचार्य, अनुदानित महाविद्यालय/. संबंधित शिक्षक।
14. नोडल ऑफिसर वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)